तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज संतोष पंवार बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 192/2023 (ऑनलाईन नं.)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी संतोष पंवार पत्नी पंकज पंवार, निवासी रामचौक, जालोरियों का बास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.03.23. में उसके द्वारा (1) जिला कलक्टर कार्यालय से पत्र कमांक/भू.अ./रेकर्ड//2022/16585 दिनांक 21.11.2022 के अनुसार नामान्तरकरण भरा गया अथवा नहीं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 933 दिनांक 01.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर तहसील कार्यालय जोधपुर से संबंधित होने से आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को कार्यालय पत्रांक 383 दिनांक 05.04.23 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया जिसकी प्रति प्रार्थी को भी दी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के प्रार्थीया का आवेदन पत्र विधिक प्रकिया के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा अपील दायर होने तक तहसीलदार जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई, जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीया को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	